राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1751/2011/भरतपुर
सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर,वृत बी,भरतपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कंचन इण्डस्ट्रीज
भरतपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री विनय गोयल
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 14.07.2014

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर,वृत बी,भरतपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा)ने उपायुक्त(अपील्स)वाणिज्यिक कर,अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वास अपील संख्या 117/सीएसटी/2009–10/उपा/ अपील्स/ अलवर में आदेश दिनांक 28.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1999–2000 का मूल कर निर्धारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 (7) के अन्तर्गत दिनांक 24.01.2002 को एकतरफा पारित किया। तत्पश्चात उपायुक्त(प्रशासन) के आदेश दिनाक 12.4.2002 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत दिनांक 4.7.2002 को आलोच्य अवधि का कर निर्धारण पारित कर, कर रू 2,58,358/–,ब्याज रू. 1,78,441/– एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रू 2,76,768/– आरोपित कर कुल रू. 7,13,567/–की मांग सृजित की। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपील के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात अवधारित किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी बीमारी की वजह से नियत तिथि को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए अपील स्वीकार करते हुए पुनः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आलोच्य अवधि का कर निर्धारण पारित करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2010 पारित कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.12.2010 से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने उपायुक्त(प्रशासन) के आदेश दिनांक 12.04.2002 की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने पर उसकी ओर से श्री आनन्द प्रकाश गोयल उपस्थित हुए और के उनके द्वारा स्थगन चाहे जाने पर आगामी सुनवाई की तिथि 14.06.2002 नियत की गई, परन्तु उक्त तिथि को प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 4.7.2002 पारित कर कर रू 2,58,358/—,ब्याज रू. 1,78,441/— एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रू 2,76,768/— आरोपित कर कुल रू. 7,13,567/—की मांग सृजित की, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को नरजन्दाज करते हुए पुनः समुचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नही करने के कारण आदेश दिनांक 4.7.2002 पारित कर मांग सृजित की है, जो पूर्णतः उचित है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.12.2010 को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत आदेश पारित कर मांग की सृजित की है,जो पूर्णतः अनुचित है,क्योंकि आलोच्य अवधि में उसके द्वारा कोई कर योग्य बिक्री नहीं की गई है,इसलिए उसका कोई कर दायित्व नहीं बनता है। उनका कथन है कि आलोच्य अवधि के चारों तिमाही के बिक्री विवरण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये कर दिये थे और तृतीय एवं चतुर्थ बिक्री विवरण पत्र इसलिए विलम्ब से प्रस्तुत किये गये कि फैक्ट्री में दिनांक 30.12.1999 को आग लग गय थी,जिसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी वर्ष 1996 से ब्लड कैंसर से पीडित है,जिसका इलाज बम्बई स्थित जसलोक अस्पताल में जनवरी 1999 से इलाज चला, तत्पश्चात जयपुर में इलाज चल रहा है। उनका कथन है कि वह नियत तिथि 12.6.2002 से 18.6.2002 को उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि वह मलेरिया बुखार से पीडित था इसलिए नियत तिथि को ना तो वह स्वयं उपस्थित हो सका और ना ही स्थगन प्रार्थना पत्र भेज सका। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल जाकर कर,ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है,जो विधि विरूद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर

अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.12.2010 का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने को निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर बोर्ड में दायर की गई अपील संख्या 1750/2011/भरतपुर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत बी, भरतपुर बनाम मैसर्स कंचन इण्डस्ट्रीज,भरतपुर, जो कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम से सम्बन्धित थी, का निर्णय कर बोर्ड की इसी पीठ द्वारा दिनांक 08.05.2013 को किया जा चुका है। वर्तमान विचाराधीन अपील केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम से सम्बन्धित है तथा निर्णय दिनांक 08.05.2013 को पारित किये गये अपील के उनवान, वर्ष एवं तथ्य एक समान है,जिसमें निम्न निष्कर्ष दिया गया है :–

"पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से परिलक्षित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से बार बार लिखे जाने एवं दूरभाष पर निर्देश देने के बावजूद विवादित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली नहीं भिजवाई गई, इसलिए उन्होंने उनके समक्ष की गई बहस एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब एव उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"विवादित मामले में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गई बहस एवं अपने कथन की पुष्टि के सम्बन्ध में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत दस्तावेजों केक अवलोकन से यह निष्कर्ष सामने आता है कि अपीलार्थी व्यवहारी बीमारी की वजह से नियत तिथि को कर निर्धारण हेतु उपस्थित नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए बिना किसी आधार/ठोस साक्ष्य के मनमाने ढंग से अपीलार्थी व्यवहारी की कर योग्य टर्नओवर का आंकलन किया जाना एवं उसके द्वारा घोषित कर मुक्त बिक्री को अमान्य करते हुए उस पर 4 प्रतिशत से करारोपण किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के **legitimate interest in law** को **safeguard** नही किया गया है, जैसा कि माननीय कर बोर्ड ने अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है।"

"विद्वान अपीलीय अधिकारी को कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड एवं पत्रावली उपलब्ध कराने पर उन्होंने उनके समक्ष उपलब्ध रिकार्ड एवं तथ्यों कें आधार पर उपरोक्त निष्कर्ष देते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात लेखा पुस्तकों में घोषित बिक्री के आधार पर नये सिरे से आलोच्य अवधि का कर निर्धारण पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें इस पीठ सम्मति में कोई अविधिकता नजर नहीं आती है।"

प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील में इसी पीठ द्वारा उक्त निष्कर्ष दिया जा चुका है इसलिए वर्तमान विचाराधीन अपील निर्णय दिनांक 08.05.2013 से पूर्णतः आच्छादित (कवर्ड) होने से पुनः पृथक से निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2010 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य